

06/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारान
अनुपस्थित/न्यायालय द्वारा तीन-तीन
बार आवाज लगावा दी गई। उभयपक्ष
वाक्य सुनना के अनुपस्थित हैं।
अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं
अदम पैरवी से अन्तर्गत आदेश
09 नियम 03 लागू हो जाना के
वहत खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर
से कम है। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उपरण्ड अधिकारी
साँभर लेक

